न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :–   राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 38 / 2024   दायर दिनांक: 30.04.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 85

मुन्दरी पुत्र श्री हरकंठ जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

––वादी

बनाम

1.मुनीम पुत्र श्री कमरसैन 2.मिश्री पुत्र श्री हरकंठ 3.रवि कुमार पुत्र सनीराम जातियान जाट नि. छौंकरवाड़ा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 4.राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता– 1.श्री चन्द्रशेखर तिवारी ––वादी
2.श्री पप्पूराम ––प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 18.11.2024

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1606 रकबा 0.08, 1930 रकबा 0. 07, 1958 रकबा 0.07, 1959 रकबा 0.07, 2072 रकबा 0.13, 2074 रकबा 0.07 हैक्टे. कुल किता 06 वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी व असल प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण अपने–2 हिस्सानुसार काविज काश्तकार एवं खातेदार दर्ज है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है। जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। परन्तु मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–2 हिस्से की आराजी को मनवट के आधार पर काश्त करते हुए अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो सडक के सहारे की कीमति भूमि को लेकर वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी से वेदखल करना चाहते है जबकि बिना विभाजन कराये सडक के सहारे कीमति भूमि पर न्यारानूर कब्जा करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा श्री पप्पूराम एड. द्वारा पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गयी। इसके आधार पर दावा वादी प्रारंभिक डिक्री दिनांक 06.09.2024 को किया गया तथा तहसीलदार, भुसावर को विभाजन प्रस्ताव बाबत लिखा गया। तहसीलदार, भुसावर से विभाजन प्रस्ताव उनके पत्रांक/एल.आर./2024/4123 दिनांक 28.10.2024 से प्राप्त हुये।

हमने बहस कुरेजात पर उभयपक्ष अधिवक्ता से सुना गया। पत्रावली एवं कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव पत्रांक/एल.आर./2024/4123 दिनांक 28.10.2024 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)